



राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: सा.प्र./2023/14906-946

दिनांक: 13/3/2023

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/ईकाई प्रभारी अधिकारी,
2. समस्त प्राचार्य, महाराजा/महारानी/वाणिज्य/राजस्थान/विधि महाविद्यालय (प्रातः एवं सायं), रा.वि.वि., जयपुर

परिपत्र

माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के कर कमलों द्वारा दिनांक 14.03.2023 को विधि महाविद्यालय छात्रसंघ कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम प्रस्तावित है। अतः थानाधिकारी, पुलिस थाना गांधीनगर, जयपुर पूर्व से प्राप्त पत्रानुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सुरक्षा को मददेनजर ध्यान में रखते हुए दिनांक 14.03.2023 को आपके विभाग में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र (आई कार्ड) से प्रवेश किए जाने की पालना हेतु अपने स्तर पर विद्यार्थियों को निर्देशित करें।

उक्त आदेश VC महोदय से अनुमोदित है।

— Sd —
(नीलिमा तक्षक)
कुलसचिव

क्रमांक: सा.प्र./2023/14947-958

दिनांक: 13/3/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधिष्ठाता, समस्त संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
4. मुख्य कुलानुशासक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे विश्वविद्यालय के मुख्य द्वारा पर छात्रों को परिचय पत्र (आई कार्ड) से प्रवेश दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
5. मुख्य आवासाधिकारी (छात्र/छात्रा), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार/परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. निजी सचिव-कुलपति/वरिष्ठ निजी सहायक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(Sd) 13.3.2023
उप कुलसचिव (सा.प्र.)